

नाथूलाल

फर्द अहकाम माधोलाल

बनाम

S.D.M, Bansi

नाम न्यायालय : महामक-कलकटर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बन्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 97/19

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	2-11-91	<p>पनावली आज्ञा प्रकाशित जाते के पंजाब अजिमात के रूप पड़ासौली में पेश है।</p> <p>वारी नाथूलाल प्रतिवारी इतम व माधोलाल उपस्थित जितनी पहिचान लपेच-पल पंचायत पड़ासौली ने की है। तदनुसार बन्सी में कुलजात रिपोर्ट प्रफ्त होम (शांति) पत्रावली है वारी व प्रतिवारी को तदनुसार डाट बन्सी से प्राप्त कुलजात रिपोर्ट प्रस्तुत जगह। वारी व प्रतिवारी ने कुलजात सही होना सिद्ध कर सहमति स्वरूप प्रफ्त प्रपत्र हस्ताक्षर किये। पत्रावली का अन्वेषण एवं तदनुसार बन्सी से प्राप्त कुलजात रिपोर्ट व वारी व प्रतिवारी का अन्वेषण किया गया। तदनुसार बन्सी से प्राप्त कुलजात रिपोर्ट व वारी व प्रतिवारी के व्यवहारात् खोतेडा धापा व काबुल के फात होना जाहिर किया अतः तदनुसार बन्सी को अन्वेषण किया जाता है कि (विलगत धापा व काबुल के वारिसों की धापा व इनके वारिसों के नाम नामांकन कर खोलकर कुलजात में इनके हिस्से व्युत्पत्ति का राक्षस रिपोर्ट अपेडट करे तदनुसार कुलजात रिपोर्ट पर वारी व प्रतिवारी की सहमति के फलस्वरूप तदनुसार बन्सी से प्राप्त कुलजात रिपोर्ट अनुसार वारी का कांड अन्वेषण किया जाता है कि कांड अन्वेषण आतजी ख. वं. 263, 263 में 263 कुलजात व कुलजात 11वीं धा 12 किन्ना सिद्ध आज्ञा पड़ासौली तदनुसार</p>

27/11/91
Bansi



माधोलाल

2/11/91

बन्सी जयपुर

उपस्थित अधिकारी
बन्सी (जिला जयपुर)

जिला जयपुर में र. नं. 263/7, 263/8, 263/9
विता 3 कुल रकम 2 बीघा 18 किंवा 1/2
खेत दा. काबुलात पुत्र रामसहाय जाति के दा.
भा. देह के हिस्से में रहेगी। तथा र. नं. 263

263/5/2 कुल विता 2 कुल रकम 2 बीघा 18 किंवा
सिक्त की भूमि खेत दा. मोघालत पुत्र रामसहाय
जाति के दा. भा. देह के हिस्से में रहेगी। तथा
र. नं. 263/3/2, 263/4, 263/11/2 कुल

विता 4 कुल रकम 2 बीघा 18 किंवा की भूमि
खेत दा. नाथूखाल पुत्र रामसहाय जाति के दा. भा.
देह के हिस्से में रहेगी। तथा र. नं. 263/2, 263/11

263/3/1 कुल विता 3 कुल रकम 2 बीघा 18

जिला की भूमि खेत दा. जयसिंघ पुत्र रामसहाय
जाति के दा. भा. देह के हिस्से में रहेगी।
खेत दा. धापा देह व काबुलात के फतेहेत
पर उनके वारिसों के बीच पर निष्मानुसार
वांछानुसार खेत का हिस्से अनुसार (वा. कु. र. नं.)
काल के पश्चात अनुसूचित राजपूत किाई
में जमानत रखना की कार्यवाही करें। कुल विता
व जमानत का ड अनुसूचित निजवापा जाति। डि. की
पंचो जाती हो। निरक्षर व डकीली पालना
हुं तहदीर जाती हो। पत्रावली फंसल धुमार
डि. का ड तहदीर दा. जिला दफतर हो।

आज दिनांक 2-11-21 को यह निर्णय
पेशावरत उनके के सेग अफिसर के मु. प. दा. र. नं.
में सज्जो आम में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)